उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल

पत्रांकः–271 / ई.निविदा / 2022–23 , दिनांकः– 22 अप्रैल,2022

तकनीकी ई0 निविदा

साफ–सफाई, बागवानी एवं हाउस कीपिंग कार्य हेतु तकनीकी ई0 निविदा प्रपत्र, वित्तीय वर्ष– 2022–2023 (अवधि 01.06.2022 से 31.03.2023 तक)

1. एजेन्सी / फर्म का जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या.. (पंजीकरण प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न की जाय).

2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 2,950 / – (₹ दो हजार नौ सौ पचास मात्र)

   बैक ड्राफ्ट नं0.................................. दिनांक.......................... बैंक का नाम बैंक शाखा का नाम .... धनराशि ₹.......................... .... जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,भवाली जिला नैनीताल के पक्ष में बना हो। (बैंक ड्राफ्ट संलग्न किया जाय)

3. धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0 संख्या ....दिनांक.........

   बैंक एवं बैंक शाखा का नाम...

   (नोटः– निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि ₹ 80,000 (₹ अस्सी हजार मात्र), राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0 के रूप में जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में बन्धक हो, मूल रूप में लगाई जानी अनिवार्य है, जिसकी वैधता निविदा खोलने की अवधि के पश्चात् कम से कम 45 दिन की होनी चाहिए)।

4. फर्म / निविदादाता का आयकर PAN संख्या (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें).............................

5. श्रम विभाग में पंजीकरण संख्या(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)...

6. जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)..

7. कर्मचारी भविष्य निधि (E.P.F.) में पंजीकरण संख्या(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें).................

8. राज्य कर्मचारी बीमा निगम (ESIC) में पंजीकरण संख्या(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)..........

9. आयकर रिटर्न, गत 03 वित्त वर्ष का (2018–19, 2019–20, 2020–21) (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

10. जिलाधिकारी / जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र जो ई.निविदा प्रकाशन के समय 06 माह से पूर्व का न हो।(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

11. हैसियत प्रमाण पत्र जो जिलाधिकारी अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो, जिसमें हैसियत कम से कम ₹ 30.00 लाख (₹ तीस लाख) होनी आवश्यक है। हैसियत प्रमाण–पत्र 06 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। (स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

12. चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा निर्गत पिछले तीन वित्तीय वर्षो का टर्न ओवर प्रमाण–पत्र, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम् ₹ 10.00 लाख अथवा पिछले कुल 03 वित्तीय वर्षो में ₹ 30 लाख से कम न हो।(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

13. पिछले तीन वित्तीय वर्षो में कम से कम 03 शासकीय/अर्द्व–शासकीय संस्थानों में साफ–सफाई, बागवानी एवं हाऊस कीपिंग के किये गये कार्यो का अनुभव प्रमाण पत्र।(स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें)

नोटः– तकनीकी ई0 निविदा के बिन्दु संख्या 01 लगायत 13 के समर्थन में फर्म द्वारा संलग्न दस्तावेज जाली अथवा कूटरचित पाये जाने पर, अकादमी नियमानुसार सम्बन्धित फर्म/एजेन्सी के विरुद्व विधिक कार्यवाही किये जाने के लिए स्वतन्त्र होगी। उक्त के अतिरिक्त बिन्दु संख्या 01 लगायत 13 के समर्थन में मांगे गये दस्तावेज संलग्न किये जाने अनिवार्य है।

मैं घोषणा करता हूँ कि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली के पत्रांकः– 271/ ई.निविदा/2022–23 हेतु निर्गत ई. निविदा में बिन्दु संख्या 1 से 35 तक उल्लिखित समस्त नियम एवं शर्तो को मैने भली–भॉति पढ़ लिया गया है, जो मुझे प्रत्येक दशा में मान्य है।

स्थानः–......................	एजेन्सी/फर्म स्वामी के हस्ताक्षर...
दिनांकः–..................	एजेन्सी/फर्म स्वामी का नाम...

फर्म का नाम...
पूर्ण स्थायी पता...
दूरभाष संख्या कार्यालय..
मोबाइल नं0...
ई.मेल का पता...

———

उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल

साफ–सफाई, बागवानी एवं हाउस कीपिंग कार्य हेतु वित्तीय ई0 निविदा,
वित्तीय वर्ष– 2022–2023 (अवधि 01.06.2022 से 31.03.2023 तक)

वित्तीय ई0 निविदा

''उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017'' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला–नैनीताल में दिनांक 01.06.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए, साफ–सफाई, बागवानी एवं हाऊस कीपिंग कार्य हेतु ई0 निविदा https://uktenders.gov.in से Downloaded Excel Sheet (BOQ) पर भरकर https://uktenders.gov.in पर ई. निविदा भरते समय यथास्थान पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।

अपर निदेशक/अध्यक्ष क्रय समिति
उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी,
भवाली, नैनीताल।

वित्तीय निविदा (BOQ)

बागवानी कार्य, हाऊस कीपिंग कार्य तथा साफ–सफाई कार्य के लिए प्रत्येक श्रमिक के पारिश्रमिक की दरें प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह अंकित की जाय।

कार्य/श्रमिकों का विवरण	**कर्मचारी को देय वेतन/मजदूरी** रूपये में	**ई0 पी0 एफ0 की धनराशि** रूपये में	**ई0 एस0 आई0 की धनराशि** रूपये में	**सर्विस चार्ज (यदि कोई हो)** रूपये में	**जी.एस.टी. /अन्य कर (उल्लेख करें)** रूपये में	**कुल योग** रूपये में
बागवानी कार्य						
माली (अकुशल)						
दक्ष माली (कुशल)						
हाउस कीपिंग कार्य						
हाउस कीपिंग श्रमिक (अकुशल)						
इलेक्ट्रीशियन (कुशल)						
प्लम्बर (कुशल)						
साफ–सफाई कार्य						
साफ–सफाई श्रमिक (अकुशल)						

निविदादाता के हस्ताक्षर

———

<u>उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी भवाली, नैनीताल</u>

पत्रांकः— 271 / ई.निविदा / 2022—23 ,   दिनांकः— 22 अप्रैल,2022

<u>ई0 निविदा सूचना</u>

''उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017'' में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला—नैनीताल में वित्तीय वर्ष 2022—23 (अवधि दिनांक 01.06.2022 से 31.03.2023 तक) के लिए, साफ—सफाई, बागवानी एवं हाऊस कीपिंग कार्य हेतु पंजीकृत फर्मो / एजेन्सी से द्वि ई0 निविदा प्रणाली (Two Bid System Technical & Financial) द्वारा e-tendering Portal <u>https://uktenders.gov.in</u> पर निम्न कार्यक्रमानुसार आमंत्रित की जाती हैं।

1.	कार्य का नाम	उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, भवाली, जिला—नैनीताल में दिनांक 01.06.2022 से 31.03.2023 तक की अवधि के लिए, साफ—सफाई, बागवानी एवं हाऊस कीपिंग कार्य।
2.	निविदा प्रपत्र का मूल्य	₹ 2,500.00 + 450.00 (GST 18%)= ₹ 2,950.00 (₹ दो हजार नौ सौ पचास मात्र)
3.	निविदा https://uktenders.gov.in पर ऑनलाइन उपलब्ध होने की तिथि	23.04.2022 को 11.00 बजे
4.	निविदा प्रपत्र https:// uktenders.gov.in से डाउनलोड किये जाने की तिथि	23.04.2022 से 07.05.2022 सांय 5.00 बजे तक
5.	तकनीकी एवं वित्तीय बिड को ऑनलाइन अपलोड किये जाने की तिथि	23.04.2022 से 07.05.2022 सांय 5.00 बजे तक
6.	तकनीकी एवं वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि	1.तकनीकी बिड 09.05.2022 को अपराह्न 01.00 बजे 2.वित्तीय बिड खोले जाने की तिथि, तकनीकी बिड की जांच के बाद समिति द्वारा निर्धारित की जायेगी।

E-tendering Portal <u>https://uktenders.gov.in</u> पर E-Bid भरने के पश्चात E-tendering Portal पर अपलोड किये गये प्रपत्र भौतिक रुप से सीलबंद लिफाफे में रख कर, लिफाफे के बाहर तकनीकी निविदा लिखा हो, डाक के माध्यम से दिनांक 09. 05.2022 को दोपहर 12.00 बजे तक अकादमी में पहुच जाने चाहिये। निविदा के साथ निविदा प्रपत्र मूल्य का बैंक ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि की एफ.डी.आर. मूल रुप से संलग्न किया जाना अनिवार्य है।

इस हेतु ई. निविदा की शर्ते, निविदा प्रपत्र आदि अकादमी की वेबसाइट www.ujala.uk.gov.in एवं https://uktenders.gov.in में देखे जा सकते हैं / डाउनलोड किए जा सकते हैं।

(1)

नियम एवं शर्ते –

1. निविदा सामान्यतः साफ–सफाई, बागवानी एवं हाउस कीपिंग कार्य के संचालन अवधि वित्तीय वर्ष 2022–2023 (01 जून, 2022 से 31 मार्च, 2023 तक) के लिए मान्य है। उक्त अवधि में फर्म द्वारा अकादमी की आवश्यकता के अनुरूप सन्तोषजनक कार्य किये जाने पर, निविदा की अवधि अगले 01 वित्तीय वर्ष के लिए और बढ़ाये जाने पर विचार किया जा सकता है।

2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ₹ 2,500.00 + 450.00 (GST 18%)= ₹ 2,950.00 (₹ दो हजार नौ सौ पचास मात्र) निर्धारित है, जिसे बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जो ''निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी'' के नाम से जारी किया गया हो, तथा भारतीय स्टेट बैंक की शाखा, नैनीताल पर देय हो, निर्धारित तिथि तक अकादमी में पहुॅचना अनिवार्य है। बैंक ड्राफ्ट की Scan Copy https://uktenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा भरते समय अपलोड की जानी आवश्यक है। निविदा प्रपत्र (फार्म फीस) की धनराशि Non-refundable होगी।

3. निविदा प्रपत्र के साथ धरोहर धनराशि ₹ 80,000 (₹ अस्सी हजार मात्र), राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ0 डी0 आर0 के रूप में जो निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में बन्धक हो, मूल रूप में लगाई जानी अनिवार्य है, जिसकी वैधता निविदा खोलने की अवधि के पश्चात् कम से कम 45 दिन की होनी चाहिए। धरोहर धनराशि की एफ.डी.आर.निर्धारित तिथि तक अकादमी में पहुॅचना अनिवार्य है। एफ0 डी0 आर0 की Scan Copy https://uktenders.gov.in पर ऑनलाईन निविदा भरते समय अपलोड की जानी आवश्यक है।

4. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली,2017 के पैरा नियम–13 (2) के अनुक्रम में दो निविदा वाली प्रणाली के अन्तर्गत निविदायें दो भागों में आमंत्रित की जा रही हैः–

   (क) तकनीकी ई0 निविदाः–तकनीकी ई0निविदा में व्यापारिक शर्तो और निबंधनो के साथ समस्त तकनीकी विवरण होगा।

   (ख) वित्तीय ई0 निविदाः– वित्तीय ई0 निविदा में तकनीकी निविदा में उल्लेखित मदों के लिए मदवार मूल्य का उल्लेख होगा।

5. दरें सभी टैक्सों/सेवाओं की धनराशि को सम्मिलित करते हुए निविदा प्रपत्र में अंकित की जानी आवश्यक है।

6. केवल उन्हीं निविदा दाताओं की वित्तीय निविदायें खोली जायेगी, जिन्होंने तकनीकी निविदा में सफलता प्राप्त की है तथा तकनीकी निविदा में सफल न होने पर संबंधित फर्म की वित्तीय निविदायें नहीं खोली जायेंगी। निविदा दाता फर्म का श्रम विभाग में पंजीकरण, कार्य समाप्त होने की तिथि तक वैध होना आवश्यक है।

7. निविदा फर्म का कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में पंजीकरण/अनुमति पत्र होना आवश्यक है, जिससे नियोजित किये जाने वाले कर्मचारियों/श्रमिकों की उक्त संगठन में पंजीकृत कराकर सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान किया जा सके।

श्रमिकों का उक्त संगठन में पंजीकरण कर 'कर्मचारी भविष्य निधि कटौती' की सूचना निविदादाता फर्म द्वारा अकादमी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायी जाएगी।

8. निविदादाता फर्म को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा कालीसूची (Black Listed) में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया गया कि फर्म द्वारा गलत सूचना प्रपत्र में दी गयी है, तो फर्म स्वामी के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

9. सफाई कार्य हेतु न्यूनतम 08 श्रमिकों तथा बागवानी कार्य हेतु न्यूनतम 08 मालियों (जिसमें 02 दक्ष माली हों) की आवश्यकता है। हाउस कीपिंग कार्य के लिए 01 इलेक्ट्रीशियन, 01 प्लम्बर तथा 06 श्रमिक कुल 08 श्रमिकों की आवश्यकता है, इसके अन्तर्गत सामान्यतः हॉस्टल/गेस्ट हाउस /ऑडिटोरियम/ डोरमेट्री/ रिक्रिएशन सेन्टर इत्यादि भवनों का रखरखाव/व्यवस्था का कार्य सम्पादित किया जाना है तथा इनमें संस्थित दैनिक प्रयोग में आने वाले उपरकरणों की जॉच करना, डस्टिंग करना, बाजार/बैंक/पोस्ट ऑफिस से सम्बन्धित कार्य एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय–समय पर बताये गये कार्यों का निष्पादन किया जाना होगा। इलेक्ट्रीशियन (विद्युतकार) अकादमी परिसर में लगाये गये विद्युत उपकरणों, जनरेटर एवं ऑडिटोरियम में संस्थित उच्च तकनीकी के विद्युत उपकरणों के रखरखाव/नियमित जॉच के लिए उत्तरदायी होंगे। प्लम्बर (नलसाज) यह सुनिश्चित करेंगे की परिसर के सभी ब्लॉकों मे 24 घण्टे पानी की निर्बाध आपूर्ति हो, पानी की टैंकों की सफाई नियमित रूप से हो तथा परिसर में संस्थित फायर हाईड्रेन्ट को समय–समय पर चलाना एवं इनका रखरखाव किया जाना सुनिश्चित करेंगे। कार्य के दृष्टिगत कार्मिकों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है।

10. साफ–सफाई, बागवानी तथा हाऊस कीपिंग कार्य हेतु एक ही (कॉमन) प्रपत्र भरा जाना है। निविदा–प्रपत्र के वित्तीय निविदा में निविदादाता को बोली के रूप में उक्त कार्य में लगाये जाने वाले एक श्रमिक के मासिक वेतन (समस्त कर इत्यादि) सहित अंकित करना है। अकादमी की वर्तमान आवश्यकता के अनुसार साफ–सफाई कार्य में 08 श्रमिक, बागवानी कार्य में 02 दक्ष माली तथा 06 माली और हाऊस कीपिंग कार्य में 01 इलैक्ट्रीशियन, 01 प्लम्बर, तथा 06 श्रमिकों से कार्य कराया जाना है। अतः निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रपत्र के वित्तीय निविदा (BOQ) में अंकित अलग–अलग श्रमिकों के मासिक वेतन को श्रमिकों की संख्या से गुणा करते हुए उक्त कुल 24 श्रमिकों को देय सकल पारिश्रमिक/वेतन (grand total)का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए न्यूनतम को (L-1) माना जायेगा।

11. निविदादाता फर्म केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत सभी श्रम कानूनों से आवृत्त होगी।

12. निविदादाता फर्म/फर्म स्वामी द्वारा निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व अकादमी परिसर एवं भवनों का भली–भॉति निरीक्षण कर लिया जाय।

13. निविदादाता श्रम विभाग द्वारा निर्धारित नवीनतम श्रमिक दरों को अंकित करें। दरें श्रम विभाग के अनुरूप नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।

14. फर्म/ठेकेदार हाउस कीपिंग कार्य हेतु अनुभवी कर्मचारियों को ही नियुक्त करेगा एवं परिसर का युक्तियुक्त तरीके से रखरखाव करेगा। नियुक्त श्रमिक अकादमी परिसर एवं आवासीय परिसर की गरिमा एवं गोपनीयता बनाये रखेंगे, यदि किसी कर्मचारी द्वारा गरिमा/गोपनीयता के विरूद्ध कार्य किया जाता है तो सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल हटाना होगा तथा ऐसे कर्मचारी के विरूद्ध पुलिस कार्यवाही की जाएगी और सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को भी जवाब देह बनाया जाएगा।

15. फर्म का दायित्व होगा कि वह कार्य करने वाले श्रमिकों के पारिश्रमिक का भुगतान माह समाप्त होने के 7 दिन के भीतर करना सुनिश्चित करें।

16. कार्य स्थल पर तैनात किये गये श्रमिकों के साथ ड्यूटी के दौरान किसी भी अप्रिय घटना हेतु अकादमी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी इसका पूर्ण उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।

17. कार्य सन्तोषजनक ना पाये जाने पर अकादमी को यह अधिकार होगा कि वह 10 दिन की पूर्व सूचना पर फर्म को दिये गये कार्य आदेश को निरस्त कर दे तथा इस प्रकार की कार्यवाही के पश्चात् फर्म का किसी भी प्रकार का क्षतिपूर्ति दावा स्वीकार्य नही किया जाएगा।

18. सफल निविदादाता फर्म को अकादमी में कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के नाम व पते का विस्तृत विवरण पहचान हेतु अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगे।

19. जिस फर्म की निविदा स्वीकार होगी उसे श्रमिकों का पुलिस सत्यापन अथवा दो सभ्रांत व्यक्तियों द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र अकादमी कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने होंगें।

20. नियोजित श्रमिकों के आचरण की जिम्मेदारी निविदादाता/फर्म की होगी।

21. फर्म द्वारा कार्य पर लगाये गये कर्मचारियों/श्रमिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि श्रमिक शारीरिक एवं मांनसिक रूप से स्वस्थ हों।

22. फर्म की बाध्यता होगी कि वह आपराधिक चरित्र/आपराधिक प्रकृति/न्यायालय द्वारा अपराध सिद्धदोष सजायाफ्ता व्यक्ति को कार्य पर नहीं लगायेगा।

23. अकादमी सम्पत्ति को फर्म द्वारा नियोजित कार्मिक द्वारा किसी भी तरह का नुकसान पहुचॉए जाने की स्थिति में उसका भुगतान फर्म को करना होगा।

24. श्रमिक/श्रमिकों की कार्य से अनुपस्थित रहने की दशा में उनके स्थान पर किसी अन्य श्रमिक को फर्म द्वारा नियोजित किया जाएगा। फर्म द्वारा ऐसा न करने पर श्रमिक/श्रमिकों का उस अनुपात में पारिश्रमिक काट लिया जायेगा तथा फर्म पर शास्ति (penalty) स्वरूप उस माह के बीजक (बिल) से 10 प्रतिशत की कटौती की जा सकेगी। साफ–सफाई, बागवानी एवं हाऊस कीपिंग कार्य का निरीक्षण अकादमी द्वारा समय–समय पर किया जाएगा तथा कार्य सन्तुष्टि के उपरान्त ही बिल का भुगतान किया जाएगा।

25. निविदादाता फर्म को ऐसी व्यवस्था करनी होगी कि प्रशासनिक भवन एवं क्लास रूम की साफ–सफाई प्रातः 09:00 बजे से पूर्व हो जाए। निविदादाता को मेस एवं हास्टल की सफाई के लिए हर समय तत्पर तैयार रहना होगा।

26. फर्म द्वारा नियोजित किये गए श्रमिकों के संबंध में केन्द्र सरकार/उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्गत विभिन्न श्रम कानूनों के प्राविधानों का पालन करना फर्म का उत्तरदायित्व होगा। फर्म को सम्बन्धित कानून की जानकारी न होना किसी भी प्रकार से स्वीकार्य कारण नहीं माना जायेगा।

27. निविदादाता यह सुनिश्चित कर लें कि अपरिहार्य कारणवश अकादमी स्तर से भुगतान में विलम्ब होता है तो उस स्थिति में अकादमी का कार्य बाधित न हो। श्रमिकों के रीती–रिवाज, धार्मिक त्यौहार, प्रत्येक माह 4 अवकाश (साप्ताहिक अवकाश) उपलब्ध कराने की व्यवस्था निविदादाता फर्म की होगी, निविदादाता ऐसी व्यवस्था करें कि श्रमिकों के अवकाश अवधि में अकादमी का कार्य व प्रशिक्षण कार्य प्रभावित न हो।

28. अकादमी परिसर में एकत्रित कूड़े/मलवे का निस्तारण नियत स्थान पर निविदादाता फर्म को स्वयं करना होगा।

29. सफल निविदादाता (साफ–सफाई, बागवानी एवं हाऊस कीपिंग कार्य) से कार्यपूर्ति प्रतिभूति के रूप में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्रावधान अनुसार धरोहर राशि, कार्यपूर्ति गांरटी, प्रतिभूति निक्षेप इत्यादि, यथास्थिति की राशि की एफ0डी0आर0 निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में बंधक रखी जायेगी। धरोहर धनराशि की वैधता आवंटित कार्य की समाप्ति की तिथि दिनांक 31.03.2023 के पश्चात कम से कम 60 दिन तक रहेगी। कार्य के सफलतापूर्वक निष्पादन उपरान्त उक्त राशि फर्म को वापस कर दी जायेगी। उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्रावधान अनुसार धरोहर राशि, कार्यपूर्ति गांरटी, प्रतिभूति निक्षेप, कार्यपूर्ति प्रतिभूति इत्यादि, यथास्थिति की राशि का अभिकलन अकादमी के द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्राविधान अनुसार राशि अभिकलित करने का अकादमी का निर्णय अंतिम होगा। सफल निविदादाता को निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में उक्तानुसार एफ0डी0आर0 अकादमी द्वारा सूचित करने पर तीन कार्यदिवस के भीतर अकादमी में जमा करना होगा और तद्परान्त अकादमी के द्वारा कार्य आदेश जारी किया जायेगा। सफल निविदादाता द्वारा ऐसा न करने पर निविदादाता का आवेदन व परिणामी चयन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा और आवेदन प्रपत्र के साथ जमा धरोहर राशि अकादमी के पक्ष में स्वतः जब्त मानी जायेगी और अकादमी के द्वारा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के प्रावधान अधीन सम्बन्धित कार्य अगले न्यूनतम बोलीदाता को आवंटित करने अथवा उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अर्न्तगत अन्य यथोचित कार्यवाही करने पर विचार किया जायेगा।

30. सफल निविदादाता के द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर पुनरीक्षित/संसोधित श्रमिक दरों के अनुसार ही अकादमी को बीजक (Bill) प्रस्तुत किये जायेगें। बीजक का भुगतान किये जाने की दशा में नियमानुसार बीजक से आयकर एवं अन्य करों की कटौती अकादमी द्वारा की जायेगी।

31. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अकादमी के पास सुरक्षित है। इस सम्बन्ध में अकादमी निदेशक का निर्णय अंतिम होगा।

32. सशर्त निविदा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगी।

33. निविदादाता फर्म उक्त सभी नियम एवं शर्तों का पालन करना सुनिश्चित करेगी। उक्त उल्लिखित निर्धारित शर्तों का अनुपालन नहीं होने की दशा में फर्म को निर्गत कार्य आदेश निरस्त कर दिया जाएगा और धरोहर धनराशि उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा फर्म को काली सूची में रखे जाने हेतु संस्तुति की जाएगी।

34. अकादमी परिसर धुम्रपान, मादक पदार्थ रहित क्षेत्र है। ठेकेदार/फर्म द्वारा नियुक्त व्यक्ति परिसर में किसी प्रकार के धुम्रपान, मादक पदार्थो का प्रयोग कदापि नहीं करेगा।

35. उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी के द्वारा निविदाएं उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के नियमों के अर्न्तगत आमंत्रित की जा रही है। किसी भी विसंगति अथवा असंगति की स्थिति में उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के समस्त प्राविधान व सिद्धान्त अंतिम रूप से प्रभावी होगें।